न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 02/2023

अपीलार्थी

1. श्रीमती मंजूदेवी पत्नि श्री पुखराज गहलोत जाति माली निवासी मूंगथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्री पप्पू माली पुत्र श्री मनरूप जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री जयन्ती पुत्र श्री मनरूप जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. सुश्री दरिया पुत्री श्री मनरूप जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. सुश्री फैन्सी पुत्री श्री मनरूप जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
5. श्री बलवन्त पुत्र श्री मनरूप जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
6. श्रीमती सुमटी पत्नि श्री मनरूप जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
7. श्री जीतू पुत्र श्री नवाराम जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
8. श्री संजय पुत्र श्री नवाराम जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
9. सुश्री शिवानी पुत्री श्री नवाराम जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
10. सुश्री चन्दा पुत्री श्री नवाराम जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
11. श्रीमती गोमी पत्नि श्री नवाराम जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र पुरी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री संजय गाली अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या एक ग्यारह की ओर से।
3. तहसीलदार (पेरोकार राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

....लगातार पेज नं. 02

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक : 10.09.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार आबूरोड द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 17.11.2021 के विरूद्ध दिनांक 21.06.2023 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक से ग्यारह की ओर से अधिवक्ता श्री संजय माली द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या बारह की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा मीरगढ पटवार हल्का मूंगथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही में स्थित खसरा संख्या 173 रकबा 0.5943 हैक्टेयर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से ग्यारह के पूर्व रसाधिकारी श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभू के हक हिस्से की आई हुई थी। यह है कि अपीलांट ने उक्त विवादित भूमि खसरा संख्या 173 रकबा 0.5943 हैक्टेयर कृषि आराजी में से 2/3 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 28.07.2021 को श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभू एवं श्री सांवलचन्द्र पुत्र श्री प्रभू से क्रय किया था। उक्त विक्रय विलेख दो ग्रामों में ग्राम धामसरा व मीरगढ में एक ही दिन कराया गया था व नामान्तरकरण दायर करने हेतु पटवार हल्का मूंगथला को प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें ग्राम धामसरा का नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 31.08.2021 को स्वीकृत किया गया, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मीरगढ के विक्रय विलेख खसरा संख्या 173 का दर्ज नहीं किया गया। इसके पश्चात दिनांक 18.09.2021 को खातेदार श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभूजी की मृत्यु होने से उसके उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 17.11.2021 को दायर किया गया, जिसमें खसरा संख्या 173 भी शामिल है। इस प्रकार ग्राम मीरगढ के खसरा संख्या 173 की भूमि विक्रय होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 277 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात ही विक्रय विलेख दिनांक 28.07.2021 का क्रेता के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या बारह द्वारा दायर किया जा सकेगा। यह कि अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या बारह के आवेदन दिनांक 13.10.2022 के द्वारा हुई, जिसमें जांच के दौरान यह स्पष्ट है कि ग्राम मीरगढ के नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 17.11.2021 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कराकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 17.11.2021 को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक से ग्यारह की ओर से अधिवक्ता श्री संजय माली ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा मौजा मीरगढ तहसील आबूरोड में स्थित खसरा संख्या 173 रकबा 0.5943 हैक्टेयर कृषि भूमि आराजी में से 2/3 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभूजी व श्री सावलचन्द पुत्र श्री प्रभूजी से खरीद का दिनांक 28.07.2021 को विक्रय विलेख पंजीयन कराया था। यह कि उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि आराजी का नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नहीं करने से मूल खातेदार श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभूजी की मृत्यु दिनांक 18.09.2021 को हो जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या एक से ग्यारह के नाम से नामान्तरकरण

....लगातार पेज नं. 03

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दर्ज किया गया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 17.11.2021 से तहसीलदार द्वारा कैम्प के दौरान स्वीकृत किया गया, जबकि हकीकत में उक्त कृषि भूमि आराजी हमारे पिता/पत्नि/दादा द्वारा अपीलांट को रजिस्टर विक्रय विलेख के जरिए बेचान कर दी थी और उक्त कृषि भूमि की आराजी पर कब्जा काश्त भी अपीलांट का ही है। उक्त कृषि भूमि का गलती से हम रेस्पोडेन्टगण के नाम से नामान्तरकरण दर्ज हो गया था, जबकि हमारा उक्त कृषि आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर दर्ज नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जाता है, तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या बारह की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का मूंगथला की रिपोर्ट दिनांक 17.11.2021 की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि मौजा मीरगढ पटवार हल्का मूंगथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही में स्थित खसरा संख्या 173 रकबा 0.5943 हैक्टेयर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से ग्यारह के पूर्व रसाधिकारी श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभू के हक हिस्से की आई हुई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट ने मौजा मीरगढ के उक्त विवादित भूमि खसरा संख्या 173 रकबा 0.5943 हैक्टेयर कृषि आराजी में से 2/3 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 28.07.2021 को श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभू एवं श्री सांवलचन्द्र पुत्र श्री प्रभू से क्रय किया था, परन्तु अपीलांट द्वारा क्रय की गई उक्त कृषि आराजी का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में नहीं किया गया और ना ही पटवारी हल्का द्वारा उक्त कृषि आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28.07.2021 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। इसके उपरान्त मौजा मीरगढ के विवादित खसरा संख्या 173 के मूल खातेदार श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभूजी की मृत्यु हो जाने से पटवारी हल्का मूंगथला द्वारा खातेदार श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभूजी के उत्तराधिकारियों के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर तहसीलदार आबूरोड के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार आबूरोड द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मूंगथला में दिनांक 17.11.2021 को स्वीकृत किया गया है। चूंकि मौजा मीरगढ के उक्त विवादित खसरा संख्या 173 रकबा 0.5943 हैक्टेयर भूमि में से 2/3 हिस्सा कृषि आराजी का श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभू एवं श्री सांवलचन्द्र पुत्र श्री प्रभूजी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28.07.2021 के द्वारा अपीलांट को बेचान किए जाने से उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर अपीलांट के हक में नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु तहसीलदार आबूरोड द्वारा उक्त उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर उसके मूल खातेदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम से

....लगातार पेज नं. 04

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

नामान्तरकरण दर्ज कर दिया, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में खसरा संख्या 173 के मूल खातेदार श्री मनरूप के उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या एक से ग्यारह के द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलांट द्वारा मौजा भीरगढ में स्थित खसरा संख्या 173 रकबा 0.5943 हैक्टेयर कृषि भूमि आराजी में से 2/3 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभूजी व श्री सावलचन्द पुत्र श्री प्रभूजी से दिनांक 28.07.2021 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पंजीयन कराया था, परन्तु उक्त खरीदशुदा कृषि आराजी का नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नहीं करने से मूल खातेदार श्री मनरूप पुत्र श्री प्रभूजी की मृत्यु दिनांक 18.09.2021 को हो जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या एक से ग्यारह के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जबकि हकीकत में उक्त कृषि आराजी उनके पूर्व रसाधिकारियों द्वारा अपीलांट को रजिस्टर विक्रय विलेख के जरिए बेचान कर दी थी और उक्त कृषि भूमि की आराजी पर कब्जा काश्त भी अपीलांट का ही है। उक्त कृषि भूमि का गलती से हम रेस्पोडेन्टगण के नाम से नामान्तरकरण दर्ज हो गया था, जबकि रेस्पोडेन्टगण का उक्त कृषि आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28.07.2021 का अवलोकन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 17.11.2021 को निरस्त करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रेकर्ड एवं दस्तावेजों की जांच कर पुनः नए सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण आदेश पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner